

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 379/10 इ0फौ0

संस्थापन दिनांक : 12.07.2010

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर
जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—दिलीपसिंह पुत्र छोटेसिंह सिकरवार, उम्र
43 साल, निवासी पुरानी लाइन रेशम मिल,
ग्वालियर

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337(दो बार), 338(एक बार) भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.05.10 को शाम 3:45 बजे रैनबैक्सी फ़ैक्ट्री चौराहा औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.-1778 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा ट्रक क्रमांक एम.पी.-33-एच. 1084 को टक्कर मारकर आहत देवेन्द्र अ0सा03 व रामदास अ0सा01 उपहति कारित की तथा आहत देवेन्द्र अ0सा03 को घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राकेश शर्मा अ0सा02 क्लीनर रामदास शर्मा अ0सा1 के साथ ट्रक क्रमांक एम.पी.-33-एच.1084 में प्लास्टिक का पावडर पानीपत हरियाणा से भरकर यू.एफ.एस फ़ैक्ट्री मालनपुर जा रहा था तब एस.आर.एफ. फ़ैक्ट्री से सुरक्षागार्ड देवेन्द्र राजावत अ0सा03 भी उसके साथ बैठ गया। शाम 3:45 बजे जैसे ही वह

रैनबैक्सी फ़ैक्ट्री चौराहा पर पहुंचा तो उसी समय रिठौरा तरफ से एक ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.-1778 का ड्राइवर ट्रक को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया तथा उसके ट्रक में सामने से टक्कर मार दी जिससे रामदास अ0सा01 के बांये आंख के उपर तथा देवेन्द्र राजावत अ0सा03 को बांये हाथ की कलाई व बांये तरफ माथे पर चोट आई जिससे खून निकल आया तथा ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.-1778 का ड्राइवर ट्रक को छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात फरियादी राकेश शर्मा अ0सा02 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 की दर्ज कराई जिस पर से अप0क0 54/10 का पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 30.05.10 को शाम 3:45 बजे रैनबैक्सी फ़ैक्ट्री चौराहा औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.-1778 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन से ट्रक क्रमांक एम.पी.-33-एच.1084 को 5-टक्कर मारकर आहत रामदास अ0सा01 उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन से ट्रक क्रमांक एम.पी.-33-एच.1084 को 5-टक्कर मारकर आहत देवेन्द्र अ0सा03 को घोर उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. आहत देवेन्द्र अ0सा03 ने कथन किया है कि दिनांक 30.05.10 को पौने चार बजे वह ट्रक से मालनपुर स्टेशन वाली रोड से काम्प्टन ग्रीव्ज फ़ैक्ट्री जा रहा था और ट्रक के आगे ड्राइवर साइड बैठा था। तब सामने से स्टेशन की ओर से एक ट्रक तेजी व लापरवाही से जिसका नंबर एम0पी0-07-एच.-1778 था आया जिसने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसके बांये हाथ में चोट आ गयी और फ़ैक्चर हो गया टक्कर मारने वाले टक्कर को आरोपी दिलीप चला रहा था।

6. आहत रामदास ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व शाम 4 बजे वह राकेश की गाड़ी में बैठकर पंडितानी के होटल मालनपुर से जा रहा था तब जब गोलम्बर पर उनकी गाड़ी पास

हो रही थी तब रिठौरा की ओर से दस चक्का एल.पी. गाड़ी ने उनकी गाड़ी में क्लीनर साइड में टक्कर मार दी जिससे देवेन्द्रसिंह का बाया हाथ चला गया और उसकी बांये आंख के उपर माथे में शीशा फूटकर लगा जिससे उसके चोटें आईं किसी ने मालनपुर थाने में सूचना दी तब पुलिस मौके पर आई और पुलिस पहले थाने लेकर गयी जहां बयान लिए बाद में गोहद मेडीकल के लिए लेकर आई जहां से उन्हें रैफर कर दिया गया। दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी का नंबर उसे नहीं मालूम और उसे कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी. 1778 उसने पुलिस को बता दिया था परन्तु यह स्वीकार किया है कि रिठौरा की ओर से आने वाले ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाना उसने पुलिस को बता दिया था और वह स्वयं ट्रक को लेकर यूफ्लेक्स फैक्ट्री मालनपुर जा रहे थे यह भी बता दिया था। अतः आहत रामदास अ0सा01 ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन एवं चालक के संबंध में कथन नहीं किया है। अपितु अभियोजित वाहन से घटना घटित होने से इंकार किया है। परन्तु अभियोजित घटना दिनांक को स्वयं एवं देवेन्द्र अ0सा03 को दुर्घटना में चोटें आना बताया है।

7. साक्षी राकेश अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 07.01.14 से 3-4 वर्ष पूर्व वह ट्रक से मालनपुर से बूटी कुईया के पास जा रहा था उसके साथ रामदास अ0सा01 व देवेन्द्र अ0सा03 भी थे तब बूटी कुईया से थोड़ी अंदर की तरफ उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था जिसने रामदास अ0सा01 व देवेन्द्र अ0सा03 को चोटें आईं थीं। उसने पुलिस थाना मालनपुर में रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था और उसे कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.1778 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर उनके ट्रक में सामने से टक्कर मार दी थी और उक्त आशय के तथ्य रिपोर्ट प्र0पी-2 में भी लिखाये जाने से इंकार किया है। इस साक्षी के कथनानुसार वह आरोपी को नहीं पहचान सकता क्योंकि आरोपी भाग गया था।

8. साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 30.05.10 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्था था। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक कन्हैयालाल नं0 50 द्वारा लाये जाने पर आहत देवेन्द्र अ0सा03 पुत्र खजुरीसिंह निवासी बिरला नगर का परीक्षण करने पर आहत के माथे पर बांयी तरफ 2गुणा2 से.मी. का फटा

हुआ घाव था तथा बांयी अग्रभुजा में 4गुणा0.3गुणा0.2 से.मी. का फटा हुआ घाव था। चोट के एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। तथा बांयी कोहनी पर 4गुणा0.3गुणा0.2 से.मी. का फटा हुआ घाव था। चोट के एक्सरे की सलाह दी गयी थी। उक्त चोटें कड़े एवं भौंथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 8 घण्टे के भीतर की हैं। चोट नं0 2 व 3 का प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जायेगा। चोट नं01 साधारण प्रकृति की है। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा04 ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 30.05.10 को ही उसने आहत रामदास अ0सा01 पुत्र विद्याराम का परीक्षण किया था जिसमें आहत को बांयी आंख के बाहरी भाग में 3गुणा2से.मी. का छिला हुआ घाव था तथा बांये पैर के अंगूठे में 2गुणा1 से.मी. का नील का निशान था। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौंथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी डॉ0 संयुक्त इंगले अ0सा05 ने कथन किया है कि वह डॉ0 ए.प्रिया के साथ वर्ष 2009 से 2012 तक जे.ए.एच. ग्वालियर में चिकित्सक के रूप में कार्यरत रही हैं। उक्त अवधि में डॉ0 ए.प्रिया रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्था थी। उसने उनके साथ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानती हैं। प्रकरण अभिलेख के अनुसार दिनांक 30.05.10 को आहत देवेन्द्र पुत्र हजुरीसिंह निवासी बिरला नगर ग्वालियर को आर.एस.ओ. अस्थिबाह्य जे.ए.एच. ग्वालियर द्वारा रैफर किए जाने पर एक्सरे परीक्षण किया गया था जिसमें बांये हाथ की रेडियस अस्थि में अग्रिम 1/3 भाग पर अस्थिभंग होना पाया गया था। डॉ0 ए.प्रिया द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 ए.प्रिया के हस्ताक्षर हैं जिन्हें वह पहचानती हैं। अतः इस साक्षी ने रिपोर्ट प्र0पी-3 साबित की है।

11. प्रकरण में फरियादी राकेश ने और आहत रामदास अ0सा01 ने वाहन क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.-1778 दुर्घटना कारित होने से इंकार किया है और उक्त दोनों साक्षीगण ने वाहन चालक की जानकारी होने से भी इंकार किया है लेकिन आहत देवेन्द्र अ0सा03 ने स्पष्ट कथन किया है कि टक्कर मारने वाले ट्रक को आरोपी दिलीप चला रहा था और उक्त तथ्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गयी है। इस साक्षी ने ट्रक का नंबर एम0पी0-07-एच.-1778 जबकि ट्रक का नंबर एम0पी0-07-एच.बी.-1778 है अतः एक शब्द का विरोधाभास है परन्तु यह साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी है और उसने स्पष्टतः आरोपी द्वारा ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाया जाना

बताया है। अतः वाहन नंबर का उक्त एक शब्द का विरोधाभास तात्त्विक नहीं रहता है।

12. देवेन्द्र अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण में घटना के समय राकेश अ0सा02 व रामदास अ0सा01 की उपस्थिति बतायी है और उनके द्वारा घटना न देखे जाने के सुझाव से इंकार किया गया है। राकेश अ0सा02 व रामदास अ0सा01 ने भी घटना होने के संबंध में कथन किया है। मात्र वाहन चालक का नाम स्पष्ट नहीं किया है। अतः देवेन्द्र के प्रतिपरीक्षण में कोई भी ऐसे तथ्य नहीं आये हैं जिससे उसके कथन पर अविश्वास किया जा सके कि टक्कर मारने वाले वाहन को आरोपी दिलीप नहीं चला रहा था और न ही उक्त तथ्य को बचाव पक्ष ने चुनौती दी है।
13. अतः देवेन्द्र अ0सा03 के कथन से आरोपी दिलीप द्वारा वाहन चलाया जाना प्रमाणित होता है जिसके द्वारा दुर्घटना कारित की गयी है। राकेश अ0सा02 व रामदास अ0सा01 ने मात्र वाहन चालक की जानकारी होने से इंकार किया है परन्तु ऐसा स्पष्ट कथन नहीं किया है कि आरोपी दिलीप वाहन को नहीं चला रहा था और उनके द्वारा दुर्घटना भी होने के संबंध में कथन किया गया है। अतः अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपी ने दिनांक 30.05.10 को शाम 3:45 बजे रैनबैक्सी फ़ैक्ट्री चौराहा औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.-1778 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा ट्रक क्रमांक एम.पी.-33-एच.1084 को टक्कर मारकर आहत देवेन्द्र अ0सा03 व रामदास अ0सा01 उपहति कारित की तथा आहत देवेन्द्र अ0सा03 को घोर उपहति कारित की।
14. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337(दो बार), 338(एक बार) भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
15. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाता है।
16. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी के उपेक्षापूर्वक आचरण के कारण जो व्यक्ति आहत हुए हैं जिसमें देवेन्द्र अ0सा03 को घोर उपहति हुई है। उपेक्षापूर्वक परिचालन का आरोपी ने कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अतः आरोपी का कृत्य ऐसा नहीं है कि उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
17. अतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. के आरोप में एक माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। आरोपी को धारा 337 भा.द.स. के आरोप में रामदास अ0सा01 को उपहति कारित करने के लिए एक माह के साधारण कारावास व

500/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।

18. आरोपी को धारा 338 भा.द.स. के आरोप में आहत देवेन्द्रसिंह अ0सा03 को उपहति कारित करने के लिए तीन माह के सश्रम कारावास व 1000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये। उक्त कारावास के दण्डादेश एक साथ भुगताये जायें।
19. धारा 357 द.प्र.स. के अधीन अर्थदण्ड में से 500/-रुपये प्रतिकर राशि आहत रामदास अ0सा01 को व 1000/-रुपये प्रतिकर राशि आहत देवेन्द्र अ0सा03 को अपील अवधि पश्चात संदाय किए जायें और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
20. वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.-1778 सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
21. धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये कि प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0